फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना राजेपुर

दिनांक - 19.02.2025

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 11/25 धारा 309(4)/109/317(2)BNS व 3/25 A ACT से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगणों को लूट से सम्बन्धित जेवरात सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री अलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन**, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज व थाना राजेपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.02.25 को लूट के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 11/25 धारा 309(4)/109/317(2)BNS व 3/25 A ACT में वांछित अभियुक्तगण 01. अनूप पुत्र निर्मल सिहं निवासी नगला जैत थाना अलीगंज जनपद एटा 02. विकास उर्फ गोविन्द पुत्र साहब सिंह निवासी किशनपुर थाना राजा का रामपुर जनपद एटा को एक अदद अंगूठी पीली धातु, एक जोड़ी कान के झाले पीली धातु, एक जोड़ी हाथ के कगंन सफेद धातु, एक अदद करधनी सफेद धातु व 1350 /- रूपये की बरामदी के आधार पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1- अनूप पुत्र निर्मल सिहं निवासी नगला जैत थाना अलीगंज जनपद एटा

2- विकास उर्फ गोविन्द पुत्र साहब सिंह निवासी किशनपुर थाना राजा का रामपुर जिला एटा

घटना का विवरण - दिनांक 01.02.25 को थाना राजेपुर क्षेत्र में वादी लकी खान पुत्र इकबाल खान निवासी ग्राम कुतलूपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रूखाबाद लिखित प्रा0पत्र के आधार पर सफेद स्विफ्ट डिजायर कार में सवार बदमाशो द्वारा वादी के मुनीम रामऔतार को तमंचे से गोली मारकर घायल करना व मोटर साइकिल नं0 UP 76 AK 5184 के आगे कार लगाकर थैला छीन लेना जिसमें एक लाख सत्तर हजार रुपये नगद व दो गांठे जेवरात की जिसमें एक 20 हजार की व एक 25 हजार की छीन कर भागने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 11/25 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 06.02.2025 को धारा 309(4)/109/317(2)BNS व 3/25 A ACT की बढ़ोत्तरी कर दो अभियुक्तगण 01. शिवम यादव पुत्र मुनेश निवासी जटोरा थाना जसरथपुर जनपद एटा 02. सुमित यादव पुत्र किशनपाल निवासी प्रहलादपुर थाना जैथरा जनपद एटा को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । दिनांक 19.02.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 01. अनूप पुत्र निर्मल सिहं निवासी नगला जैत थाना अलीगंज जनपद एटा 02. विकास उर्फ गोविन्द पुत्र साहब सिंह निवासी किशनपुर थाना राजा का रामपुर जिला एटा को लूटे गये जेवरात एक अदद अंगूठी पीली धातु, एक जोड़ी कान के झाले पीली धातु, एक जोड़ी हाथ के कगंन सफेद धातु, एक अदद करधनी सफेद धातु व 1350 /- रूपये सहित गरिफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुये अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया ।

बरामदगी का विवरण -

1- 01 अंगूठी पीली धातु
2- 01 जोड़ी कान के झाले पीली धातु
3- 01 जोड़ी हाथ के कगंन सफेद धातु
4- 01 करधनी सफेद धातु
5- 1350 /- रूपये

अभियुक्त अनूप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 11/25 धारा 310(2),109,317(2) BNS थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त विकास उर्फ गोविन्द उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 11/25 धारा 310(2),109,317(2) BNS थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।
2- मु0अ0सं0 04/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीगंज, जनपद एटा ।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम:-

थाना कमालगंज पुलिस टीम –

1- प्र0नि0 श्री अनुराग मिश्र

2- उ0नि0 श्री गंगा सिंह

3- आरक्षी दीपेश छौंकर

थाना राजेपुर पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री राकेश प्रताप सिंह

2- उ0नि0 श्री अमित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 19.02.2025

थाना कादरीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 53/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगणो को चोरी किए गये माल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री **ऐश्वर्या उपाध्याय** के निर्देशन मे अपराध एंव अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना कादरीगेट पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 53/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.सूरज चौहान 2. रजनेश बाथम 3.पप्पू उर्फ आनन्द कश्यप को चोरी किये गए माल सहित आज दिनांक 19.02.2025 को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.सूरज चौहान पुत्र सुरेन्द्र सिंह चौहान निवासी ढिलावल थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखाबाद उम्र करीब 24 वर्ष
2.रजनेश बाथम पुत्र छविनाथ बाथम निवासी पचपुखरा थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखाबाद उम्र करीब 27 वर्ष
3.पप्पू उर्फ आनन्द कश्यप पुत्र सुनील कश्यप निवासी इलेराजा धर्मशाला 55 नं0 गेट रेलवे क्रासिंग के पास थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखाबाद उम्र 19 वर्ष

घटना का संक्षिप्त विवरण:- अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16/17.02.2025 की रात्रि मे नगला खैरबन्द थाना कादरीगेट से ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे कुल 39 बोरे खाद के चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे वादी श्री उमेश पुत्र श्री उदित नारायण पता नगला खैरबन्द थाना कादरीगेट की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 53/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगणो को चोरी किये गये माल सहित गिरफ्तार किया गया जिसमें कुल 12 कट्टा भारत डीएपी कट्टा जिन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजन IFFCO (रंग सुआपंखी–लाल) एंव 10 कट्टा भारत एनपीके जिनपर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना JAI KISHAN NAVRATNA (रंग नीला - लाल) अभियुक्तगण की निशादेही पर बरामद किये गये व शेष कट्टे अभियुक्त द्वारा किसानो को बेच दिये गये जिनका पैसा आपस में बांट लिया था।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर एक स्वर में बताया कि रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ियों से खाद आती है और यहां से ट्रैक्टर– ट्राली से ले जायी जाती है, ट्रक्टर वाले अपने–2 ट्रैक्टर ट्राली भरकर खड़े कर देते है और खुद सोने अपने– 2 घर चले जाते है हम लोग मौके का फायदा उठाकर ट्राला से खाद के कट्टा चोरी कर लेते है हम तीनो लोगो ने 16-17/02/2025 की रात को सुबह के समय एक भरे हुए ट्राला से 12 वोरी डीएपी व 27 वोरी एनपीके चोरी कर लिया था वह खाद हम लोगों ने रजनेश कश्यप के घर पर अंदर वाले कमरे मे रख दी थी जिनमें से कुछ कट्टा हम लोगों ने किसानों को वेच दिए हैं और उनसे प्राप्त पैसा हम लोगो ने आपस में बांट कर खर्च कर लिए है, शेष बोरी रजनेश कश्यप के घर पर ही रखी है जिन्हे हम लोग चलकर आपको बरामद करा देंगे।

अभियुक्त सूरज चौहान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 53/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट

02.मु0अ0सं0 374/16 धारा 3/8 गौ हत्या नि0 अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना कायमगंज

03.मु0अ0सं0 348/16 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कायमगंज

04.मु0अ0सं0 293/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहगढ

05.मु0अ0सं0 241/22 धारा 435/504/506 भादवि थाना फतेहगढ

अभियुक्त रजनेश बाथम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 53/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट

अभियुक्त पप्पू उर्फ आनन्द कश्यप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 53/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट

गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री विशेष कुमार – चौकी प्रभारी आईटीआई थाना कादरीगेट
2. का0 मंजीत सिंह
3. का0 गौरव कुमार
4. का0 पंकज कुमार
5. का0 कुलदीप सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ।

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि0- 19.02.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अजब सिंह उर्फ अजय सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी इसामुदीपुर थाना ठठिया जिला कन्नौज मु0अ0सं0- 309/2014 वाद स0- 69/2015 धारा- 363,366,376 भाद0वि0 व 4 पाक्सो एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 19.02.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट फर्रू0 द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी – श्री प्रदीप कुमार सिंह

को0 मो0 हे0का0 राजेन्द्र सिंह

पैरोकार हे0का0 विजय नारायण

CO 71 ENGR REG